

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 25/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखत तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कतव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	नोटिसों का नाम एवं	ख	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री विकास शमा, सं. 6, चाँद नगर, तिलक नगर के निकट, नई दिल्ली और 14 अन्य.	सी. सं. VIII/ICD/6/TKD/ SIIB-EXP/DRI-SCN/Export India/20/2018 दिनांक 25.05.2018.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियत), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियत), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली
2.	श्री विकास शमा, सं. 6, चाँद नगर, तिलक नगर के निकट, नई दिल्ली और 16 अन्य.	फा. सं. VIII (6) ICD/PPG/ DBK/ DRI Matter/1037/ 2017 दिनांक 17/19.04.2018	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियत), इनलड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली.	(तालिका के क्रम सं. 1 से 3 के लिए).
3.	श्री विकास शमा, सं. 6, चाँद नगर, तिलक नगर के निकट, नई दिल्ली और 26 अन्य.	सी. सं. VIII(10) ACE/SIIB/ 10/2018 दिनांक 29.03.2019/ 01.04.2019 (कारण बताओ नोटिस सं. 4/2019)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियत), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	

4.	<p>मै एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लिं., D-2/1, टाटासी इंडस्ट्रियल एरिया, थाने, बेलापुर रोड, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-400705.</p>	<p>फा. सं. DRI/KZU/ CF/Enq-83 (Int-9)/2018 दिनांक 28.04.2019.</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, बललाड इस्टेट, मुंबई. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.</p>
5.	<p>मै वीजीएस एंटरप्राइजेस, X-65, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली, श्री वैभव गुप्ता, निवासी-S-351, पंचशील पाक, दिल्ली, और श्री अरुण गुप्ता, निवासी-S-351, पंचशील पाक, दिल्ली.</p>	<p>फा. सं. DRI/DZU/23/Int/09/2015 दिनांक 13.10.2017, दिनांक 23.01.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (कारण बताओ नोटिस सं. 54/2017).</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात गुप IV), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात गुप IV), न्हावा शेवा-III जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>
6.	<p>मै कृष्ण ओवर्सिस, 2856, 2 तल, बाज़ार सिकरोवाला, हौज़ काज़ी, दिल्ली-110006 और 2 अन्य.</p>	<p>फा. सं. DRI/DZU/ 23/Enq-29/2017 दिनांक 27.09.2017 (कारण बताओ नोटिस सं.44/2017).</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली. (तालिका के क्रम सं. 6 से</p>
7.	<p>मै कृष्ण ओवर्सिस, 2856, 2 तल, बाज़ार सिकरोवाला, हौज़ काज़ी, दिल्ली-110006 और 3 अन्य.</p>	<p>फा. सं. DRI/DZU/ 23/Enq-29/2017 दिनांक 25.10.2017 (कारण बताओ नोटिस सं.57/2017).</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात),</p>	<p>8 के लिए).</p>

			इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.
8.	श्री अनिल अग्रवाल, हाउस सं. 30, नॉथ एक्स. मोडल टाउन, फेस-III, नई दिल्ली और 11 अन्य.	फा. सं. DRI/DZU/ 23/Enq- 29/2017 दिनांक 19.03.2019 (कारण बताओ नोटिस सं. 07/2019).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-20/2019-CI]

(श्री)
f

प्रति सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली और कोलकाता को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियाँ को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी को नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे